



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002
कार्यालय दूरभाष सं. 0522-2455283 कार्यालय फ़ैक्स सं. 05222451993
Office Phone No.-0522-2455283 Office Fax No.-0522-2451993
E-Mail ID: cda-luck@nic.in

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2017-18

दिनांक: 29/06/2017

सेवा में

प्रभारी अधिकारी,

- (1) वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) एस.एल.आई. फतेहगढ़ (3) वेतन लेखा कार्यालय (अ.श्रे.) डी.आर.सी. फैज़ाबाद
(2) वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) आर.आर.सी. फतेहगढ़ (4) संबन्धित अनुभाग, मु. का. लखनऊ

विषय: क्षे.प्र.के. लखनऊ प्रशिक्षण: नवनियुक्त लेखा परिक्षकों/लिपिकों का प्रवेश पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार दिनांक 10/07/2017 से 01/09/2017 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	आलोक अग्निहोत्री	8341770	ले.प.	वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) एस.एल.आई. फतेहगढ़
2.	शिवेन्द्र मिश्रा	8341773	ले.प.	वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) एस.एल.आई. फतेहगढ़
3.	आशुतोष कुमार	8341780	ले.प.	वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) आर.आर.सी. फतेहगढ़
4.	जुही निगम	8341788	ले.प.	वेतन लेखा कार्यालय (अ.श्रे.) डी.आर.सी. फैज़ाबाद
5.	आलोक मिश्रा	8341790	ले.प.	वे. ले. कार्यालय (अ.श्रे.) आर.आर.सी. फतेहगढ़
6.	नीरज अग्रवाल	8341802	ले.प.	मुख्य कार्यालय, र. ले. प्र. नि. (म.क.) लखनऊ
7.	आशुतोष शुक्ला	8341803	ले.प.	मुख्य कार्यालय, र. ले. प्र. नि. (म.क.) लखनऊ

- सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण में छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
- यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

— हस्ता. —
व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
✓ (2) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
(3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।



व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)